UPET010063802022

न्यायालयः <u>अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, एटा।</u>
उपस्थितः शीलवन्त, एच०जे०एस०
<u>जी०ओ० कोड संख्या -यू०पी० 1841</u>
सत्र परीक्षण संख्याः 867/2022

उ०प्र० राज्य

..... अभियोजन पक्ष

बनाम

1- आशोक कुमार पुत्र बलवन्त सिंह उर्फ बसंत सिंह

2- श्यामेन्द्र सिंह पुत्र आशोक कुमार निवासीगण डांडा थाना जैथरा जिला एटा।

..... अभियुक्तगण

अ०सं०- 367/2020
धाराः-323/34,325/34,504,506,308/34 भा०द०सं०
थानाः- जैथरा, जिला-एटा।

-<u>निर्णय-</u>

यह प्रकरण पुलिस थाना जैथरा जिला, एटा द्वारा अभियुक्तगण अशोक कुमार व श्यामेन्द्र सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं 367/2020 अन्तर्गत धारा 323, 325,504,506,308 भा०द०सं० के अपराध में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रदर्श क -3 प्रस्तुत करने पर तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 17, एटा के द्वारा सत्र सुपुर्द करने के उपरान्त अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के आरोप हेतु किया गया।

2- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.2020 को सुबह 07:00 बजे मेरे गांव के अशोक सिंह पुत्र बलवन्त सिंह व श्यामेन्द्र सिंह व श्यामपाल सिंह पुत्रगण अशोक सिंह मेरे घूरे की जगह पर अवैध कब्जा कर रहे थे, उसी समय मेरा भाई राजकुमार शौच करके अपने घर वापस आ रहे थे, मेरे भाई ने अवैध कब्जा करने से मना किया तो उपरोक्त लोग एक राय मशवरा होकर अपने अपने हाथों में लाठी डण्डे, फावडा लेकर अपने घर के सामने मां- बहन की गन्दी गन्दी गालियां देते हुए मेरे भाई रामकुमार को घेर लिया व जान से मारने के लिए लाठी डण्डे, फावडे से प्रहार किया। श्यामेन्द्र सिंह ने मेरे भाई के सिर में फावडा मारा, मारपीट से मेरे भाई के गम्भीर चोटें आयी, चीखपुकार पर मैं व मेरी मां व गांव के बहुत से लोग मौके पर पहुंचे, हम लोगों को देखकर उपरोक्त मुल्जिमान भविष्य में जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उपरोक्त मुल्जिमानों के भय के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं है। मैं घायल अवस्था में अपने भाई को थाने ले गया, थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने मजरुबी चिट्ठी देकर कहा कि हालत खराब है, पहले इलाज कराओ बाद में रिपोर्ट लिख लेंगे, तब मैं अपने भाई को जैथरा अस्पताल ले गया जैथरा अस्पताल में डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद एटा के लिए भेज दिया। जिला अस्पताल एटा से मेरे भाई को आगरा भेज दिया, आगरा में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में इलाज हुआ तथा मेरे भाई के सिर की हड्डी टूटी पायी गयी

तथा मेरी भाई की हालत में सुधार होने पर मैं थाना जैथरा गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई तब मैं एटा आकर श्रीमान जी को प्रार्थना पत्र दे रहा हूं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना जैथरा में मेरी रिपोर्ट दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे

3- वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाने पर अभियुक्तगण अशोक कुमार व श्यामेन्द्र के विरुद्ध अपराध सं० 367/2020 में धारा 323,325,504,506,308 भा०दं०सं० के तहत पंजीकृत किया गया।

4- विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। वादी मुकदमा व गवाहान के बयानात अंकित किये गये। चुटैलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा घटनास्थल का मौका मुआयना कर नक्शा-नजरी बनाया। तमामी विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण अशोक कुमार व श्यामेन्द्र के विरुद्ध धारा - 323,325,504,506,308 भा०दं०सं० में आरोप विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

5- विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् अभियुक्तगण अशोक कुमार व श्यामेन्द्र को धारा - 323,325,504, 506,308 भा०दं०सं० के विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् जनपद न्यायाधीश के आदेश के द्वारा इस न्यायालय में निस्तारण हेतु स्थानांतरित किया गया।

6- अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 18-10-2022 को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्तर्गत धारा 323/34,325/34,504,506,308/34 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया व परीक्षण की मॉग की।

7- अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने हेतु पी०डब्लू०-1 सुमित कुमार, पी०डब्लू०-2 रामकुमार , पी०डब्लू०-3 रामरतन व पी०डब्लू० 4 सत्यवीर व पी०डब्लू० 5 एस०आई० चरन सिंह व पी०डब्लू० 6 डॉ रवि रंजन को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया।

अभियोजन की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य के रुप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ;

क- वादी मुकदमा का तहरीर कागज संख्या 05 अ प्रदर्श क- 1
ख- नक्शा-नजरी कागज संख्या 07 अ प्रदर्श क-2
ग- आरोप पत्र प्रदर्श क- 3
घ- एफ०आई० आर पर प्रदर्श क- 4
च- जी०डी० प्रदर्श क- 5
छ- डॉक्टरी मुआयना प्रदर्श क- 6
ज- रैफर पत्र प्रदर्श क- 7
झ- पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क- 8

8- अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त के द्वारा साक्ष्य पढ़कर सुनने के उपरान्त घटना को गलत बताया व लोगों के कहने के आधार पर गलत तहरीर दी व गलत साक्ष्य संकलित किये व गलत रिपोर्ट तैयार किया तथा साक्षियों

द्वारा मेरे विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया व गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूंठा फंसाये जाने का कथन किया है।

9- बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दं०प्र०सं० की धारा- 294 के तहत अभियोजन पक्ष के औपचारिक प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया है तथा तथ्यों से इन्कार किया है।

10- मैंने अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तारपूर्वक सुना व पत्रावली का अवलोकन व विश्लेषण किया।

11- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित आरोप से दोषसिद्ध करने का अनुरोध किया गया।

12- इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में जो साक्षी परीक्षित किये गये हैं, उन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

13- अभियोजन पक्ष के द्वारा लगाये गये आरोप के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष ने **<u>पी०डब्लू०-1 सुमित कुमार</u>** को परीक्षित कराया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 26-07-2020 को सुबह में अपने खेतों की तरफ लैटरिंग करने गया था। खेतों से जब मैं लौट कर आया तो मैंने अपने भाई रामकुमार को घायल अवस्था में देखा था। मेरे घायल भाई के पास गांव के काफी लोग इकट्ठे थे और तरह-तरह की बातें कर रहे थे। भाई की स्थिति नाजुक थी। इसलिए मैं अपने भाई रामकुमार को लेकर अपने परिवारीजन के साथ जैथरा गया। जैथरा थाने में पुलिस वालों ने भाई के इलाज हेतु एक चिट्ठी लिखकर दी थी और कहा कि अपने भाई का पहले इलाज कराओ। रिपोर्ट बाद में कर देना । मैं थाने से अपने भाई रामकुमार को लेकर सरकारी अस्पताल जैथरा गया। जैथरा के डॉक्टरों ने एटा अस्पताल के लिए भेज दिया। एटा में मेरे भाई रामकुमार एस०एन० मेडीकल कॉलेज में इलाज हेतु रैफर कर दिया। आगरा में मेरे भाई रामकुमार के सिर वगैरह के एक्स-रे हुए थे। एक्स-रे में सिर की हड्डी टूटी पायी गयी। मैं अपने भाई का इलाज कराता रहा। भाई की हालत में सुधार होने पर लौटकर गांव वापिस आया। दिनांक 07-08-2020 को मुझे मेरे गांव के लोग एटा लेकर आये। एटा मे मेरे गांव के लोगों ने जैसे बताया वैसे एक प्रार्थना पत्र मैंने एक टाइप वाले से टाइप कराया। वह प्रार्थना पत्र मैंने एस०एस०पी महोदय एटा को अपने हस्ताक्षर करके दिया था। पत्रावली पर कागज संख्या 05 अ वही टाइपशुदा प्रार्थना पत्र है जो मैंने अपने गांव वालें के कहने के आधार पर टाइप कराया था। इस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर पहचाने । इस पर प्रदर्श क- 1 डाला गया। मेरे सामने अशोक कुमार व श्यामेन्द्र सिंह व श्यामपाल ने मेरे भाई रामकुमार को न तो मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और ना ही मेरे सामने लाठी-डण्डों, फावडों से मारा पीटा और न ही मुल्जिम ने मेरे सामने जान से मारने की धमकी दी थी।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

इस साक्षी से जिरह किये जाने पर साक्षी ने कथन किया कि इस घटना के संबंध में मेरा दरोगा जी ने कभी कोई बयान नहीं लिया। गवाह को उसका बयान धारा- 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 26-07-2020 की सुबह सात बजे मेरे गांव के अशोक, श्यामेन्द्र व श्यामपाल हमारे घूरे वाली जगह पर अवैध कब्जा

कर रहे हो और मेरे भाई रामकुमार के मना करने पर उपरोक्त मुल्जिमान अशोक वगैरह ने मेरे भाई को गंदी-गंदी गालियां दी हो। यह कहना गलत भी गलत है कि उपरोक्त अशोक वगैरह मुल्जिमान ने मेरे भाई रामकुमार को सुबह सात बजे घेर कर लाठी-डण्डों व फावडों से मारा पीटा हो। यह कहना भी गलत है कि श्यामेन्द्र ने मेरे भाई के सिर में फावडा मारा हो। यह कहना भी गलत है कि इस घटना को मैंने व मेरी मां रज्ञा देवी ने व गांव के काफी लोगों ने देखा हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमान भविष्य में जान से मारने की धमकी देकर भाग गये हो। यह कहना भी गलत है कि घटना के समय मैं मौके पर मौजूद रहा हूं। और मैंने अपनी आंखों से घटना देखी हो । यह कहना भी गलत है कि मैंने दिनांक 07-08-2020 को स्वयं एटा आकर एक टाइप वाले से घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर करायी। एस०एस०पी० महोदय एटा को दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने एस०एस०पी के लिए टाइप कराये गये प्रार्थना पत्र को गांव वालों के कहने के आधार पर टाइप न करायाा हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने मुल्जिमान से फैसला कर लिया हो और मैं मुल्जिमान को बचाने के लिए झूंठा बयान दे रहा हूं।

14- अभियोजन साक्षी **<u>पी०डब्लू०-2 रामकुमार</u>** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 26-07-2020 को सुबह सात बजे के करीब अशोक, श्यामेन्द्र हमारे घूरे कि जगह पर कब्जा कर रहे थे। मैं अपने घर से लैटरिंन करने गया था। लैटरिन करके वापस जा रहा था। तो मैंने देखा उपरोक्त लोग मेरी घूरे वाली जगह पर कब्जा कर रहे थे। मैंने अशोक वगैरह से अपनी जमीन पर कब्जा करने से मना किया इसी बात पर वाद विवाद होने लगा। गांव के 100-50 लोग मौके पर इक्टठे हो गये। मेरी घूरे वाली जगह के पास से रास्ता भी है। गांव वाले लोग आपस में तरह-तरह की बातें करने लगे। अचानक भीड़ में से आवाज आने लगी। मारो सालों को जान से और भीड़ में लाठी-डण्डा, फावड़े चलने लगे। मुझे फावडे की चोट लगी थी। मैं फावडा मारने वाले व्यक्ति को भीड़ में भगदड़ मचने के कारण देख नहीं पाया था। फावड़ा मेरे सर पर लगा था। फावड़ा लगते ही मैं बेहोश हो गया। फावड़ा लगते ही मेरे घर वाले बेहोशी की हालत में थाने लगे गये थे। मेरा इलाज जैथरा अस्पताल व आगरा में हुआ था। मौके पर भीड़ में भगदड़ मच जाने की वजह से मुझे लाठी-डण्डा व फावड़ा किसने मारा था नहीं देखा पाया था। मुझे अशोक व श्यामेन्द्र ने न तो मां बहन की गंदी-गंदी गाली दी थी न ही लाठी-डण्डा से मारा था। घटना की रिपोर्ट मेरे भाई सुमित ने गांव वालों के कहने पर एटा में टाइप कराकर एस०एस०पी० एटा को दी थी। मेरे साथ अशोक व श्यामेन्द्र ने कोई गाली गलौज व मारपीट नहीं की थी।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

इस साक्षी से जिरह किये जाने पर साक्षी ने कथन किया कि मेरा इलाज आगरा में लगभग एक महीने तक हुआ था। इस घटना के सम्बन्ध में मेरा पुलिस वालों ने कोई बयान नहीं लिया। गवाह को उसका बयान धारा- 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 26-07-2020 की सुबह सात बजे के करीब मेरे गांव के अशोक व श्यामेन्द्र हमारी घूरे वाली जगह पर अवैध कब्जा कर रहे हो। मेरे मना करने पर अशोक व श्यामेन्द्र ने मुझे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी हो। यह कहना भी गलत है कि अशोक व श्यामेन्द्र ने मुझे घेर कर लाठी-डण्डों से मारा पीटा हो। यह कहना भी गलत है कि श्यामेन्द्र ने मेरे सर पर फावड़ा से चोट पहुंचायी हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने अशोक व श्यामेन्द्र को अपनी मारपीट करते हुए अच्छी तरह देखा हो। यह कहना भी गलत है कि मैं मुल्जिमान को बचाने के लिए झूंठा बयान दे रहा हूं।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मौके पर गांव की औरतें आदमी व बच्चे 100-150 के करीब इक्टठे हो गये थे। एकदम भीड़ में से आवाज आई की मारो सालों

को इतने में ही भीड़ में भगदड़ मच गयी। भीड़ एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। उसी बीच में मेरे सर पर किसी ने फावड़े से बार किया। फावड़े की चोट लगते ही बेहोश हो गया। मेरी अशोक व श्यामेन्द्र ने ना मारपीट की न गाली दी थी।

15- अभियोजन साक्षी **<u>पी०डब्लू०-3 रामरतन सिंह</u>** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 26-07-2020 को मैं अपने घर से खेतों की तरफ लैटरिंन करने गया था। खेत में से जानवरों के लिए चारा भी लाना था। मैं करीब नौ बजे अपने खेत में जानवरों के लिए चारा लेकर वापिस आया तो मुझे जानकारी मिली कि रामकुमार पुत्र बदन सिंह को चोट लग गयी है और उसके घर वाले उसे लेकर थाने गये हैं। मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई थी। ना ही मैंने अशोक, श्यामेन्द्र व श्यामपाल सिंह को रामकुमार की मारपीट करते हुए देखा था। मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

इस साक्षी से जिरह किये जाने पर साक्षी ने अभिकथन किया कि इस घटना के संबंध में मेरा पुलिस वालों ने कभी कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका 161 दं०प्र०सं०का बयान पढ़कर सुनाया गया। तो उसने कहा की कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने दिनांक 26-07-2020 को सुबह सात बजे के करीब आशोक , श्यामेन्द्र, श्यामपाल, रामकुमार की घूरे वाली जगह पर अवैध कब्जा कर रहे हो। रामकुमार के मना करने पर उपरोक्त तीनों लोगों ने रामकुमार को गंदी- गंदी गालियां देते हुए मारा पीटा हो। यह कहना भी गलत है कि श्यामेन्द्र ने रामकुमार के सिर में फावड़े से प्रहार किया हो, जिससे रामकुमार के सिर में गंभीर चोटें आयी हो। यह कहना भी गलत है कि घटना के समय मैं मौके पर मौजूद रहा हूं और मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी हो। यह कहना भी गलत है कि मैं मुल्जिम को बचाने के लिए झूंठा बयान दे रहा हूं।

16- अभियोजन साक्षी **<u>पी०डब्लू०-4 सत्यवीर सिंह</u>** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 26-07-2020 को मैं अपने गांव से गांव पटौर में दूध लेने गया था। मेरी दूध की डेयरी है। मैं अपने घर से सुबह छः बजे दूध इकट्ठा करने के लिए गया था और गांव के लौटकर मैने साढे सात बजे के करीब दूध इकट्ठा करना शुरु किया। डाडा में कब और किसने कहां पर मारपीट हुई मुझे कोई जानकारी नहीं है । मैंने कोई घटना नहीं देखी। उक्त मुकदमें का गवाह कैसे बना लिया मुझे जानकारी नहीं है। मेरे सामने अशोक, श्यामेन्द्र व श्यामपाल ने रामकुमार की कोई मारपीट नहीं की थी। मैंने कोई घटना नहीं देखी थी।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

इस साक्षी से जिरह किये जाने पर साक्षी ने अभिकथन किया कि इस घटना के संबंध में मेरा पुलिस वालों ने कभी कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका 161 दं०प्र०सं०का बयान पढ़कर सुनाया गया। तो उसने कहा की कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने दिनांक 26-07-2020 को मैं सुबह सात बजे डांडा गांव से दूध इक्टठा करने आया हूं और मेरे सामने अशोक, श्यामेन्द्र व श्यामपाल ने रामकुमार को लाठी-डण्डा , फावड़ा से मारा पीटा हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा हूं।

17- अभियोजन साक्षी **<u>पी०डब्लू०-5 एस०आई० चरन सिंह</u>** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 09.08.2020 को में थाना जैथरा पर बतौर एसआई तैनात था। उक्त दिनांक को मैनें उक्त मुकदमें की विवेचना ग्रहण की। और मैनें उक्त दिनांक को ही नकल चिक नकल

रपट एफआईआर लेखक सीसी अवनीश कुमार का बयान लेकर सीडी में अंकित किया। दिनांक 14.08.2020 वादी सुमित मजरूब राजकुमार के बयान लेकर सीडी में अंकित किये। और उक्त दिनांक को ही मैनें वादी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। नक्शा नजरी मेरे हस्तलेख हस्ताक्षर में है। जो पत्रावली पर सात अ है। जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। दिनांक 26.08.2020 को डा० रवि रंजन का बयान लेकर सीडी में अंकित किया। दिनांक 07.09.2020 को चश्मदीद गवाह रामरतन मुन्नालाल आदि के बयान लेकर सीडी में अंकित किये। दिनांक 09.09.2020 को मैनें अभियुक्तगण अशोक व श्यामेन्द्र को गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्ततो के बयान लेकर सीडी में अंकित किये। दिनांक 20.09.2020 को अभियुक्तगण अशोक व श्यामेन्द्र के खिलाफ धारा 323,325,504,506.308 IPC के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया। आरोपपत्र कम्प्युटराइज्ड पत्रावली पर मौजूद है। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क -3 डाला गया। इस मुकदमें की चिक एफआईआर कम्प्युटर पर सीसी अवनीश कुमार द्वारा का० दुर्गेन्द्र कुमार से लिखाई है। इस पर एसओ के हस्ताक्षर है। इस मुकदमें का खुलासा दिनांक 09.08.2020 को समय 6:33 बजे पर जीडी नं बारह पर किया गया। चिंक एफआईआर पर प्रदश क-4 डाला गया है जीडी पर प्रदर्श क -5 डाला गया है।

इस साक्षी से जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया कि इस केस की विवेचना मुझे दिनांक 09.08.2020 को मिली। समय का मुझे ध्यान नही है। इस केस की विवेचना मैनें किस किस दिनांक को की इसकी रवानगी मेरे पास नही है। मुझे यह ध्यान नहीं है कि इस केस के मुलजिमानों को कहा से गिरफ्तार किया था। चूंकि काफी समय हो गया है इसलिये ध्यान नहीं है। गिरफ्तारी के समय घटना में प्रयुक्त लाठी डंडों के बारे में मैने अभियुक्तगणों से पूछ ताछ की थी। उनकी बरामदगी के बारे में अभियुक्तगणों ने कोई सही स्थान ना बताये जाने के कारण बरामद नही किये जा सके थे। मैनें इस केस में मजरूब रामकुमार का चिकित्सीय परीक्षण लिया था। जो पत्रावली पर कागज सं० नौ अ/ सात है। जो चिकित्सा अधिकारी जैथरा द्वारा जारी किया गया है। इस चिकित्सीय कागजीय परीक्षण पर सिंपिल काट कर K/U/O लिखा हुआ है। और इसी पत्रावली पर कागज संख्या नौ अ/ तीन है जो इसी रामकुमार का चिकित्सीय परीक्षण है। दोनों चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 26.07.2020 समय 8:50 पीएम की है। जिस पर नेचर आफ इंजरी सिंपल लिखा हुआ है। मुझे ध्यान नहीं है कि इस बारे में मैनें डा० साहब से उनके बयानों में कोई पूछताछ नहीं की है। क्योकि ज्यादा समय हो चुका था। साक्षीगणों ने अदालत में बयान दिये की घटना से संबंधित मेरे विवेचक ने कोई बयान नहीं लिये। यह बात इन्होनें बिल्कुल गलत लिखाई है। मुझे जो मुलजिमानों ने बताया वही मैनें धारा 161 Crpc. में लिखा। यह कहना गलत है कि है कि मैनें राजनैतिक दबाव में मुलजिमानों के विरूध झूठा आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह कहना भी गलत है कि मैनें निष्पक्ष साक्षियों का साक्ष्य संकलित नहीं किया। यह कहना भी गलत है कि इस केस के साक्षीगण हितबृद्ध साक्षी है। यह कहना गलत है कि मैनें इस केस के विवेचना थाने में बैठ कर की हो। यह कहना भी गलत है कि मैनें घटना स्थल का नक्शा नजरी मौके पर ना बनाया हो। यह कहना सही है कि मैनें वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर वरवक्त मौका मुआयना कर नक्शा नजरी तैयार किया हो। यह कहना भी गलत है कि मैनें बिना साक्ष्य संकलित किये झूठा आरोपपत्र प्रस्तुत किया हो।

18- अभियोजन साक्षी **<u>पी०डब्लू० 6 डॉ रवि रंजन सी०एच०सी०</u>** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक दिनांक 26-07-2020 को मैं सी०एच०सी० जैथरा पर बतौर एम०ओ० तैनात था। उक्त दिनांक को मैंने मजरुब राम कुमार का 08:50 पर डाक्टरी मुआयना किया था जो स्वयं मैने मुआयना करने गया था। मैने मुआयने के समय मजरुब के शरीर पर निम्न चोटें पायी थी।

1- एक कटा हुआ घाव 6 सी०एम० X 2 सेमी खाल तक गहरा सिर पर बायी ओर , बाये कान से 9 सेमी ऊपर की ओर किनारे अनिमियत थे। इस चोट के लिए एक्सरे

एवं सिटीस्कैन की राय दी गयी थी। इस चोट को निगरानी में रखा गया । चोट ताजा थी। मजरुब को लगी चोट किसी सख्त कुंद से आना संभव थी। यह डॉक्टरी मुआयना मेरे हस्तलेख हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श का- 6 डाला गया। मैने मजरुब राम कुमार को अन्य चिकित्सा हेतु रैफर किया था। रैफर स्लीप पत्रावली पर उपलब्ध है। इस पर प्रदर्श क- 7 डाला गया। । मैने एक्सरे रिपोर्ट एवं सी०टी० स्कैन के आधार पर 19-08-2020 को पूरक रिपोर्ट तैयार की थी। पूरक रिपोर्ट मेरे हस्तलेख हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क- 8 डाला गया। सी०टी० स्कैन रिपोर्ट के अनुसार मजरुब के लिए मैं फ्रैक्चर पाया गया था चोट गंभींर प्रकृति की थी।

इस साक्षी से जिरह किये जाने इस साक्षी ने अपने जिरह में स्पष्ट रुप से कथन किया कि कागज संख्या 9 अ/3 व 9 अ/4 मेरे हस्तलेख में है, जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर चोट की प्रकृति साधारण है। ये चुटैल रामकुमार मेरे पास स्वयं आया था। चुटैल ने मजरूबी चिट्ठी लाकर दी थी। उस मजरुबी चिट्ठी का इस चिकित्सीय परीक्षण में कहीं भी कोई विवरण अंकित नहीं किया और मजरुब को एक्सरे के लिए एडवाइज किया गया। मजरुब के सर पर आयी चोट लाठी-डण्डें से आना संभव थी। मजरुब के आयी चोट धारदार हथियार से आना संभव नहीं थी। यह भी संभव है कि चुटैल कड़ी जमीन पर गिर जाये तो भी यह चोट आना संभव थी। कागज संख्या प्रदर्श क-6 पर चोटों की प्रकृति साधारण काटा गया है उसके बाद इस चोट की अंदर निगरानी रखने की सलाह दी गयी। कागज संख्या 09 अ/4 पर चुटैल रामकुमार की सिर की प्रकृति साधारण लिखी हुई है। रिपोर्ट तैयार हो जाने के पश्चात् प्रदर्श क- 6 पर चोटों की प्रकृति साधारण को काट कर अन्दर निगरानी रखा गया यह किसी परिस्थिति में किस आधार पर कैसे हुआ मुझे ध्यान नहीं है इस चुटैल के सिर पर आयी चोट के मार्जीयन इन रेगूलर को चोट पर किसी प्रकार की सूजन नहीं थी। रेडियोलाजिस्ट एस०एन० मेडीकल कॉलेज आगरा की रिपोर्ट दिनांक 28-07-2020 के आधार पर अनपूरक रिपोर्ट तैयार की थी। मैंने अनपूरक रिपोर्ट मात्र दिनांक 28-07-2020 को रिपोर्ट के आधार पर तैयार की है। इस पर एस०एन० मेडीकल कॉलेज आगरा की कोई भी प्रति नहीं लगी है और न रामकुमार के कोई हस्ताक्षर है। कागज संख्या 09 अ/9 कप्म्यूटराइज्ड प्रपत्र है। अनपूरक रिपोर्ट तैयार करते वक्त मैंने कागज संख्या 09 अ/9 एन०सी०सी०टी० हैड का अभिलेखन किया था। उसकी प्लेटों का अवलोकन नहीं किया था। यह अनपूरक रिपोर्ट मेरे द्वारा दिनांक 19-08-2020 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैथरा पर तैयार की गयी थी। इस पर जो पत्रावली पर कागज संख्या 09 अ/1 है । यह अनपूरक रिपोर्ट विवेचना अधिकारी की उपस्थिति में तैयार की थी और इस रिपोर्ट को तैयार करके विवेचक को दे दिया था। इसमें अनपूरक रिपोर्ट पर चिकित्साधिकारी का नाम न कोई मोहर लगी है वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की कोई सील नहीं लगी हुई है। यह कहना गलत है कि इस केस के विवेचक ने अपने मनमानी तरीके से रिपोर्ट तैयार करायी हो।

19- अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये सभी आरोप निराधार है। अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी मुकदमा के भाई के साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाकर गैर इरादतन हत्या करने व गंदी-गंदी गालियां तथा जाने मारने की धमकी देने का आरोप है, जिसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

20- इस संबंध में पी०डब्लू० 1 सुमित सिंह वादी मुकदमा की साक्ष्य की समक्षी की जाती है, जिसमें उसने न तो अपनी मुख्य परीक्षा मे न प्रति परीक्षा में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया । वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि " *दिनांक 26-07-2020 को सुबह मैं अपने खेत पर गया था। खेतों से जब लौटा तो मैंने देखा भाई रामकुमार को घायल अवस्था में देखा। घायल अवस्था में भाई को सरकारी अस्पताल जैथरा ले गये। जैथरा के डॉक्टरों ने एटा अस्पताल भेज दिया। एटा से मेरे भाई रामकुमार को एस०एन० मेडीकल आगरा के इलाज हेतु रैफर कर दिया। भाई की हालत सुधार होने पर लौटकर गांव वापिस आया। दिनांक 07-08-2020 को मुझे मेरे गांव के लोग एटा लेकर आये। एटा मे मेरे गांव के लोगों ने जैसे*

बताया वैसा एक प्रार्थना पत्र मैने एक टाइप वाले से टाइप कराया। प्रार्थना पत्र मैं अपने गांव वालों के कहने पर दिया। ***मेरे सामने अशोक कुमार व श्यामेन्द्र सिंह व श्यामलाल ने मेरे भाई रामकुमार को न तो मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और न ही मेरे सामने लाठी-डण्डों व फावड़ा से मारा पीटा और न ही मुल्जिमान ने मेरे सामने जान से मारन की धमकी दी थी।***

21- यहां पर पी०डब्लू० 2 रामकुमार , जो कि घटना में चुटैल हुआ , के बयान की समीक्षा की जाती है, जिसने उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि " घटना दिनांक 26-07-2020 को सुबह सात बजे की है। मैं लैटरीन करके वापस आ रहा था। तो मैने उपरोक्त लोग मेरी घूरे वाली जगह पर कब्जा कर रहे थे। कब्जा करने पर मना किया तो वाद विवाद होने लगा। गांव के 100-50 लोग मौके पर इकट्ठे हो गये। गांव वाले लोग तरह-तरह की बातें करने लगे। अचानक भीड़ में से आवाज आयी ।मारों सालो को जान से और भीड़ में लाठी-डण्डा, फावड़े चलने लगे। मुझे फावड़े की चोट लगी थी। मैं फावड़ा मारने वाले व्यक्ति को भीड़ में भगदड़ मचने के कारण देख नहीं पाया। मेरे साथ अशोक व श्यामेन्द्र ने कोई गाली-गलौज व मारपीट नहीं की थी।

22- प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष साक्षी पी०डब्लू० 1 जो चुटैल का भाई , जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य विरोधाभासी हो जाती है एवं उक्त साक्षी के साक्ष्य विरोधाभासी होने के कारण सन्देह के घेरे में आ जाती है, जिस पर विश्वास किये जाने का कोई न्यायोचित आधार पर्याप्त नहीं होता। इसी प्रकार उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 , जो घटना का चुटैली व चक्षुदर्शी साक्षी , ने अपनी मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पी०डब्लू० 3,4 द्वारा भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इन सभी साक्षियों को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्ष द्रोही साक्षी घोषित किया जा चुका है। इन साक्षियों से जिरह किये जाने पर भी कोई ऐसा तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया जा सके। सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से यह माना जाना उचित होगा कि अभियुक्तगण निर्दोष है।

23- उपरोक्त सभी साक्षियों की गवाही अपने आप से घटना को संदिग्ध बताती है। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अभियोजन केस को साबित करें तथा सभी से स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथन संदेह से परे है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***2001 एस०सी०सी० (क्रिमिलन) 652 धनंजय रेड्डी प्रति स्टेट ऑफ कर्नाटक*** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो केवल इसके आधार पर ही अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को सिद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि संदेह कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। विधिक निर्णय तथ्यों व विधि के प्राविधानों पर आधारित होना चाहिये न कि कतिपय संदेहास्पद एवं परिस्थितियों पर।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा जिस प्रकार से कथानक प्रस्तुत किया है, घटनास्थल पर ऐसी कोई घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित नहीं की गयी है। तदनुसार वस्तु स्थिति यह है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित घटना व उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323/34,325/34,308/34,504,506 भा०दं०सं० का आरोप किसी प्रकार से भी सिद्ध नहीं होता है एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों से अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है। यद्यपि अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को बचाव पक्ष ने स्वीकार किया है। लेकिन अभियोजन

द्वारा प्रस्तुत किसी भी गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण अशोक कुमार व श्यामेन्द्र सिंह के विरुद्ध अपराध सं० 367/2020 में आरोप अन्तर्गत धारा 323/34,325/34,308/34,504,506 भा०दं०सं० में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। निष्कर्षतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

-आदेश-

अभियुक्तगण अशोक कुमार व श्यामेन्द्र सिंह को एस०टी० सं०-867/2022 अपराध सं० 367/2020 में आरोप अन्तर्गत 323/34,325/34,308/34, 504,506 भा०दं०सं० थाना जैथरा जिला एटा के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामें और बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं। उनके प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह अन्तर्गत धारा 437 ए दं०प्र०सं के प्रावधान के अनुपालन में बीस-बीस हजार की धनराशि की दो दो जमानतें व समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

दिनांक -20-03-2024

(शीलवन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय प्रथम, एटा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक -20-03-2024

(शीलवन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय प्रथम, एटा।